wider this scheme and work done in the States during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) No, Sir. The Centrally Sponsored Scheme of Financial Assistance to Assignees of Ceiling Surplus Land, which came into operation in the year 1975-76, stands transferred to the State sector with effect from 1991-92 with provision for continuing Central assistance for the financial year 1992-93 as per the decision of the National Development Council taken in its meeting held on 23rd & 24th December, 1991.

(c) In view of (a) & (b) above, the question of continuing the allocation of Central assistance under the aforesaid scheme beyond 1992-93 does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए योजनाएं

4840. श्री ईश दत्त यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना को देश के 120 जिलों में तेज कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन 120 जिलों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) इन योजनाओं के कार्य को तेज कर दिए जाने के बाद उक्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 31.3.1989 से बन्द कर दिया गया है। भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा रहा हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से देश के चयनित 120 पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुतायत है में जवाहर रोजगार योजना को गहन बनाने के लिए 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना का द्वितीय चरण आरंभ किया गया है। इन जिलों का चयन योजना आयोग के परामर्श से किसी राज्य में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की कुल जनसंख्या के प्रति किसी जिले में ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक तथा कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन को समान तरजीह के आधार पर किया गया है। जबकि उन जिलों को जिनके अधिकतर खण्ड सूखाग्रस्त कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार तैयार की गई सूची में शामिल किया गया है, औद्योगिक और वाणिज्य रूप के विकसित जिलों को विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत निधियों को संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला-परिषदों को पास भेजा जाता है जो इन जिलों के अन्दर बेरोजगारी और अल्प-रोजगार वाले हिस्सों का पता लगाएंगे और इन हिस्सों में कार्यान्वयन हेतु निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत कार्य आरम्भ करेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत योजनाओं में क्षेत्र में स्थायी ग्रामीण रोजगार तथा सूखे के प्रभाव से मुक्त करने वाले कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण, लघु-सिंचाई कार्य, मृदा और जल संरक्षण कार्य, जल एकत्रीकरण ढांचे, बंजर भूमि विकास, फार्म-वानिकी इत्यादि शामिल हो सकते हैं। इनमें विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों आदि में अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों से उपयुक्त अनुपूरक निधियों से प्राथमिक स्कूलों, प्राथमिक बाजारों जैसे ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ करने की योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। जिले ऊपर निर्दिष्ट योजनाओं से ली गई उपयुक्त योजनाओं वाली एक समग्र कार्य-योजना तैयार करेंगे, जिसका जिलों में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा किया जाएगा। चुने गए 120 पिछड़े जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिये)।**

जवाहर रोजगार योजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सृजित श्रम दिनों की संख्या के रूप में की जाती है। उपलब्ध अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना के द्वितीय चरण के आरंभ से लेकर अब तक 2443.52 लाख श्रम दिन सृजित किए गए हैं।

विवरण

चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. महबूब नगर
3. वारांगल
4. खम्माम
5. पूर्वी गोदावरी
6. नालगोंडा
7. प्रकाशम
8. अनन्तपुर
9. कुरनूल

बिहार

10. पलामू
11. पश्चिम सिंगभूमि
12. गुमला
13. रांची
14. दुमका
15. गया
16. हजारीबाग
17. साहिबगंज
18. गरवाह
19. गिरडीह
20. सहरसा
21. मुंगेर
22. वैशाली
23. मुजफ्फरपुर
24. दरभंगा
25. सुपूल
26. छतरा
27. जमूई
28. गोडडा
29. माधेपुरा
30. भागलपुर
31. झबुआ
32. नवादा

गुजरात

33. पंचमहल
34. वलसाड
35. सूरत
36. बडोदरा
37. अमरेली
38. सुरेन्द्र नगर

जम्मू व कश्मीर

39. डोडा
40. उधमपुर

कर्नाटक

41. गुलबर्गा
42. कोलार
43. धारवाड
44. बिजापुर
45. दुमकुर
46. चित्रदुर्ग
47. बिलारी
48. बिदर

मध्य प्रदेश

49. बस्तर
50. बिलासपुर
51. झबुआ
52. प० निमार
53. सरगुजा
54. रायपुर
55. माडला
56. रायगढ़
57. धार
58. शहडौल
59. सिओनी
60. सिधी
61. पू० निमार
62. जबलपुर
63. बेतूल
64. राजनन्दगांव
65. दुर्ग

महाराष्ट्र

66.
67. नासिक
68. थाने
69. यवतमाल
70. अमरावती
71. नानदेड
72. भण्डारा
73. चन्द्रपुर

74. बुलदाना
75. अकोला
76. पुणे
77. अहमदनगर
78. सांगली
79. शोलापुर
80. बीड
81. औरंगाबाद

उड़ीसा

82. कोरापुट
83. मयूरभंज
84. कटक
85. सम्बलपुर
86. सुन्दरगढ़
87. कालाहांडी
88. क्योंझर
89. गंजम
90. फूलबनी

राजस्थान

91. उदयपुर
92. बांसवाडा
93. डुंगरपुर
94. सवाईमाधोपुर
95. बाडमेर
96. अजमेर

तमिलनाडु

97. द० आरकोट
98. चंगेलपट्टू
99. तंजावर
100. धर्मपुरी
101. चिदम्बरनार
102. रामनाथपुरम

त्तर प्रदेश

103. इलाहाबाद
104. सीतापुर
105. गाजीपुर
106. हरदोई
107. सोनभद्र
108. बलिया
109. मिर्जापुर
110. पिथौरागढ़
111. पौड़ी गढ़वाल
112. अलमोडा
113. बांदा
114. बहराइच

प० बंगाल

115. मेदनीपुर
116. कूचबिहार
117. बर्धमान
118. बांकुरा
119. पुरूलिया
120. बीरभूम

Targets set under JRY in Gujarat

4841. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the district-wise target, both physical and financial, set under the JRY in Gujarat during the last three years, particularly for Saurashtra and Kachh regions;

(b) how far these targets have been achieved;

(c) whether the programme evaluation organisation of the Planning Commission has made any study of JRY; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) The information on district-wise target, both physical & financial, under JRY, is not maintained at the Central level. However, for the State of Gujarat, the targets fixed and achieved during the last 3 years is as given in Statement *(see* below).

(c) and (d) The programme evaluation organisation of Planning Commission made a quick study (on a sample basis) of JRY in 1992 in 10 States, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal. The main findings of the study are given in Statement-II.